आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 470/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कार्यालय अंचल शस्त्र केन्द्र, नेहरू प्लेस, टोंक रोड, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक

बनाम

1. सात्विकी प्रोटीन्स प्राइवेट लिमिटेड,
   पता:– पंजीकृत कार्यालय खसरा संख्या 1118–1121, चौमूं, अजीतगढ रोड, ग्राम मारखी, तहसील शाहपुरा, जयपुर।
   एवं 175, इन्द्रा कॉलोनी, स्पेस सिनेमा के पास, बैंक ऑफ राजस्थान के पीछे, बनीपार्क, जयपुर।
   एवं ई–166, रीको, अजीतगढ, सीकर।
   एवं 176, इन्द्रा कॉलोनी, स्पेस सिनेमा के पास, बैंक ऑफ राजस्थान के पीछे, बनीपार्क, जयपुर।
2. श्री विवेक कुमार अग्रवाल पुत्र श्री नरोत्तम लाल अग्रवाल,
3. श्री विकास अग्रवाल पुत्र श्री नरोत्तम लाल अग्रवाल,
4. श्री नरोत्तम लाल अग्रवाल पुत्र श्री सीताराम अग्रवाल,
5. श्रीमती सुनीता देवी अग्रवाल पत्नी श्री विवेक कुमार अग्रवाल,
6. श्रीमती राखी अग्रवाल पत्नी श्री विकास कुमार अग्रवाल,
7. श्रीमती पुष्पा देवी अग्रवाल पत्नी श्री विनोद कुमार,
8. श्रीमती संतोष देवी अग्रवाल पत्नी श्री नरोत्तम लाल अग्रवाल,
   पता :– 175, इन्द्रा कॉलोनी, स्पेस सिनेमा के पास, बैंक ऑफ राजस्थान के पीछे, बनीपार्क, जयपुर।
9. मैसर्स गिर्राज धरण इण्डस्ट्रीज जरिये प्रोपराईटर श्री विवेक कुमार अग्रवाल,
   पता :– ई–166, रीको औद्योगिक क्षेत्र, अजीतगढ, सीकर।
   एवं 175, इन्द्रा कॉलोनी, स्पेस सिनेमा के पास, बैंक ऑफ राजस्थान के पीछे, बनीपार्क, जयपुर।
10. श्री विवेक कुमार अग्रवाल जरिये प्रोपराईटर मैसर्स गिर्राज धरन इण्डस्ट्रीज,
   पता :– ई–166, रीको औद्योगिक क्षेत्र, अजीतगढ, सीकर।
   एवं 175, इन्द्रा कॉलोनी, स्पेस सिनेमा के पास, बैंक ऑफ राजस्थान के पीछे, बनीपार्क, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :–

1. श्री भवानी सिंह नरूका, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांकः 08.09.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02.01.2021 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में (1) अप्रार्थी संख्या 1 के स्वामित्त्व की समस्त चालू और स्थाई आस्तिया, स्टॉक, संयत्र, मशीनरी, कच्चा माल, प्रक्रिया में स्टॉक, पुस्तक ऋण, प्राप्तियां आदि एवं बैंक ऋण से सृजित अन्य सभी संपत्तियों को हाइपोथिकेट एवं (2)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

श्री विकास अग्रवाल के स्वामित्त्व की संपरिवर्तित संपत्ति खसरा संख्या 1118, माप 0.62 हैक्टेयर और खसरा संख्या 1125 माप 0.11 हैक्टेयर ग्राम मारखी, सामोद, चौमूं, अजीतगढ़ रोड, जयपुर एवं (3) श्री विवेक अग्रवाल के स्वामित्त्व की संपरिवर्तित संपत्ति खसरा संख्या 1119 माप 0.43 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1121 माप 0.41 हैक्टेयर व समस्त निर्माण (वर्तमान और भविष्य में प्रस्तावित संपत्ति), ग्राम मारखी, सामोद, चौमूं, अजीतगढ़ रोड, जयपुर एवं (4) श्री नरोत्तम अग्रवाल के स्वामित्त्व की संपरिवर्तित संपत्ति खसरा संख्या 1120 माप 0.48 हैक्टेयर, समस्त निर्माण (वर्तमान और भविष्य में प्रस्तावित संपत्ति), ग्राम मारखी, सामोद, चौमूं, अजीतगढ़ रोड, जयपुर एवं (5) श्री विकास अग्रवाल के स्वामित्त्व की सम्पत्ति मकान नं. 175, इन्द्रा कॉलोनी, बनीपार्क, जयपुर, क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज को बन्धक रख कर राशि 60,23,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 15.04.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अण्डरटेकिंग एवं अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री सौरभ शर्मा ने वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब/बहस हेतु अवसर चाहा है।

3. प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) जिला जयपुर (राज.)

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 60,23,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 55,58,10,159.00/– रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 15.04.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था/बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था/बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा–14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के पक्ष में अप्रार्थी में (1) अप्रार्थी संख्या 1 के स्वामित्त्व की समस्त चालू और

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

स्थाई आस्तियां, स्टॉक, संयत्र, मशीनरी, कच्चा माल, प्रक्रिया में स्टॉक, पुस्तक ऋण, प्राप्तियां आदि एवं बैंक ऋण से सृजित अन्य सभी संपत्तियों को हाइपोथिकेट एवं (2) श्री विकास अग्रवाल के स्वामित्व की संपरिवर्तित संपत्ति खसरा संख्या 1118, माप 0.62 हैक्टेयर और खसरा संख्या 1125 माप 0.11 हैक्टेयर ग्राम मारखी, सामोद, चौमूं, अजीतगढ़ रोड़, जयपुर एवं (3) श्री विवेक अग्रवाल के स्वामित्व की संपरिवर्तित संपत्ति खसरा संख्या 1119 माप 0.43 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1121 माप 0.41 हैक्टेयर व समस्त निर्माण (वर्तमान और भविष्य में प्रस्तावित संपत्ति), ग्राम मारखी, सामोद, चौमूं, अजीतगढ़ रोड़, जयपुर एवं (4) श्री नरोत्तम अग्रवाल के स्वामित्व की संपरिवर्तित संपत्ति खसरा संख्या 1120 माप 0.48 हैक्टेयर, समस्त निर्माण (वर्तमान और भविष्य में प्रस्तावित संपत्ति), ग्राम मारखी, सामोद, चौमूं, अजीतगढ़ रोड़, जयपुर एवं (5) श्री विकास अग्रवाल के स्वामित्व की सम्पत्ति मकान नं. 175, इन्द्रा कॉलोनी, बनीपार्क, जयपुर, क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था/बैंक को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक **08.09.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर